न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R 1267-PB?17

पुन.प्र.क्र:–
श्रवण तिथी:–

1. शिवराम पिता गुलाब आयु 73 वर्ष व्यवसाय–कृषि निवासी ग्राम फोफनार तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

.... याचिकाकर्ता

विरूध्द

1. विनायक पिता रघुनाथ
2. सुधाकर पिता किसन
3. सुनिल पिता श्रीराम
4. जगन पिता राजाराम
5. अनिल पिता श्रीराम

सभी निवासी ग्राम फोफनार तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

..........प्रत्यर्थीगण

पुनरिक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.संहिता

याचिकाकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क. 4अ/13 वर्ष 2015–16 विनायक वगैरा.. .... आवेदकगण विरूध्द शिवराम .... अनावेदक अन्तर्गत धारा 131 म. प्र.भु.रा.स. के प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 04/06/2016 से दुखी व पीडित होकर उक्त आदेश की वैधता, शुध्दता को निम्न कानुनी आधारो व तथ्यो पर चुनौती देते हुए यह पुनरिक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष सादर निवेशित है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1268–पीबीआर/17 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	